

Registration no: (207108120221127144749) Date: (31-08-2023) Valid till: (31-08-2026)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | MADHUBANI  
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा मे

अधिक / अवधारणा / प्रबल

I S PUBLIC SCHOOL

VPO- HISSAR, P.S. KHIRHAR, MADHUBANI, BIHAR

**विषय:** बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाराष्ट्र,

अपके आवेदन पत्र दिनांक 27-11-2022 और उसके क्रम में आपसे किये गये प्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विसदस्तीय समिति के बैठक दिनांक : 31-08-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय I S PUBLIC SCHOOL, VPO- HISSAR, P.S. KHIRHAR, MADHUBANI, BIHAR, HISSAR, 847230 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 31-08-2023 से 31-8-2026 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न चारों के अनुपातन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपातन आवधारक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ों के कमज़ोर वर्ग एवं अताखाकी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पदि विद्यालय में पूर्व प्राप्तिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपातन पूर्व प्राप्तिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्घृत बच्चों के नामते में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन जीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपत्त्यता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकान नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक ढंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोई परीक्षा यास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक ने दिव्याग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगे।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संतप्त नहीं होगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपद्धति का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध संविधानों के आनुपातिक रूप से उन्होंने का नामांकन करेगा।

H

X

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दृप्त मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निपुणता

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 262.02 डिसग्रिट

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 262.02 डिसग्रिट

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- SAFE DRINKING WATER, OUTDOOR GAMES & SPORTS FACILITIES, CCA, WASHING POINTS, FIRST AID, HYGIENIC TOILETS, GARDENS, LABS & LIBRARIES, TLM AND TEACHING AIDS etc.

(iv) वर्ष कक्षों की कुल संख्या :- 20

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भडार कक्ष :- 10

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अंतर्गत-शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 10 , Girls 5

(vii) शैयजल की सुविधा :- 15

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(ix) बाधारहित पड़ोस, ( ) :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुट उपकरण/ पुस्तकालय :- BOOKS, CHALK, DUSTER, WHITE BOARD, BLACK BOARD SMART BOARD, NOTEBOOKS, MAPS, MAGAZINE, DICTIONARY, ATLAS, CLAY ITEMS MODELS, CHARTS, ETC., BAT, BALL, WICKET, PAD, GLOBES, BAILS, BADMINTON NET, RACKETS, CORK, FOOTBALL, NET, SKIPPING ROPES, CARROM, LUDO, LADDER & SNAKES, CHESS, ETC., (Y, 710, NewsPaper MagaZine:- 16 )

11. कोई भी अपर्याप्त वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग के बहुत शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्विधि सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रक्रिया द्वारा साध्यम से संबंधित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के राज अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संबंधित नहीं होगा।

15. लेखा का अकेलागण एवं उसका प्रभागीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा का विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवाटि प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 207108120221127144749, 2022 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रताधार करने में इस कोड को अकिञ्चित एवं उद्दृप्त किया जाए।


17. निवेशक, प्राप्तिक्रिया विद्या / विद्या विद्या पदाधिकारी के द्वारा सम्पन्नगामी नींव किए गए प्रतिवेदन एवं शूष्णनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और गज्ज्य सरकार के स्वार से प्रस्तीकृति की शर्तों के लागतार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संपादन से संबंधित कठिनाईयों को द्वारा करने हेतु सम्पन्न समय पर निर्णय अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. पदि सोसाइटी के निवेशन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुत्प्रक्रम III के रूप में संताग अन्य शर्तें

Mdub  
23/11/23

X

  
वि शुभ भाजन  
ह०/-  
जिता शिक्षा पदाधिकारी, MADHUBANI  
शिक्षा विभाग, विहार सरकार